न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–1 गोण्डा।

उपस्थितःश्री सूर्य प्रकाश सिंह(एच0जे0एस0)... जे0ओ0कोड–यू0पी06272

सी0एन0आर0न0–UPGD010003532023

सत्र परीक्षण संख्या–95 / 2023

राज्य प्रति 1. ममता पत्नी रामसिंह

2. अन्नपूर्णा उर्फ चन्नी देवी पत्नी गुलाबचन्द्र

3. सोन बहादुर उर्फ गदरे पुत्र आशाराम

निवासीगण कठेला तालाब, वोटनपुरवा

थाना करनैलगंज जिला गोण्डा।

अ0सं0–05 / 2022

धारा–302, 120बी भा0दं0स0

थाना को0करनैलगंज जिला गोण्डा

निर्णय

1. प्रस्तुत सत्र परीक्षण वाद, अ0सं0–05 / 2022 , धारा–302,120बी भा0दं0स0 थाना को0करनैलगंज जिला गोण्डा के तहत प्रेषित आरोप पत्र विरूद्ध अभियुक्तगण ममता, अन्नपूर्णा उर्फ चन्नी देवी व सोन बहादुर उर्फ गदरे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोण्डा के सेंशन सुपुदर्गी आदेश दिनांकित–05.01.2023 के अनुक्रम में सत्र न्यायालय को सुपुर्द की गयी, जो बाद स्थानान्तरण इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2. अभियोजन का संक्षिप्त कथन है कि प्रार्थी श्यामसुन्दर पुत्र मुंशीलाल निवासी पूरे महेशी कोचा कासिमपुर थाना को0करनैलगंज जनपद गोण्डा का निवासी हूॅं। आज दिनांक–02.01.2022 को समय लगभग 8.00 बजे मेरा छोटा भाई श्याम सिंह उम्र करीब 35 वर्ष शौच करने के लिए घर से निकला था। मेरा चचेरा भाई रोहित पुत्र सिपाही लाल ने धर पर आकर सूचना दिया कि भाई श्याम सिंह, हरिशचन्द्र कोरी पुत्र सुखराम कोरी ग्राम फतवापुर मौजा चौरी के खेत में पड़े है। इस सूचना पर मेरे घर के लोग दौड़कर मोके पर गये, तो देखे कि श्याम सिंह का सिर पानी में डूबा है और पैर का हिस्सा बाहर की

तरफ है, तब मेरे घर के लोगोने उनको उठाया तो श्याम सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। हमे श्याम सिंह की मृत्यु होने पर शंका है, मै चाहता हूँ कि शव का पोस्टमार्टम करा दिया जाए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि श्याम सिंह की मृत्यु कैसे हुई है। आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी। जिसका इन्द्राज जी0डी0 बहवाले रपट सं0—46 समय 16.22 बजे दिनांकित—02.01.2022 में किया गया। तदोपरान्त मनीष कुमार उपनिरीक्षक द्वारा मौके पर पहुचकर शव को कब्जे में लेकर पंचान श्रीमती कविता , श्यामसुन्दर, सुनील कुमार, उदित व रोहित को नियुक्त कर पंचायतनामा प्रदर्श क—2 के साथ फोटो नाश प्रदर्श क—6, पुलिस फार्म सं0—13 प्रदर्श क—7, चिठ्ठी प्रतिसार निरीक्षक व चिठ्ठी सी0एम0ओ0प्रदर्श क—8 व नमूना मोहर प्रदर्श क—9 तैयार किया गया और मृतक श्याम सिंह के शव को पोस्टमार्टम हेतु का0 राजेश शर्मा व का0 राहुल पाल की अभिरक्षा में दिया गया। चिकित्सक द्वारा मृतक श्याम सिंह के शव का शव विच्छेदन करने के उपरान्त शव विच्छेदन आख्या प्रदर्श क—5 तैयार किया गया। इसके पश्चात् दिनांक—04.01.2022 को कविता द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली करनैलगंज को इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि प्रार्थिनी कविता पत्नी श्याम सिंह निवासी पूरे कोचा कासिमपुर, थाना को0करनैलगंज जनपद गोण्डा की निवासिनी है, प्रार्थिनी कविता के पति श्याम सिंह पुत्र मुंशीलाल उम्र करीब 35 वर्ष दिनांक—02.07.2022 को करीब सुबह 8 बजे शौच के लिए गांव के पूरब दिशा में गये थे, कुछ समय बीतने के बाद गांव के दो बच्चे मनीष पुत्र राजेन्द्र व अजीत पुत्र सन्तराम ने आकर बताया खुदा हुआ खेत जिसमें कुछ कीचंड व हल्का पानी है, उसी में श्याम सिंह पड़े है, सूचना मिलने पर घर के चचेरे भाई रोहित मौके पर पहुचे व तमाम गांव के लोग पहुचे । मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे पति श्याम सिंह की हत्या कर दी गयी है। हत्या में चुन्नी देवी पत्नी गुलाबचन्द व ममता पुत्री गुलाबचन्द व कुछ अन्य लोग भी थे। निवासी कठेला तालाब थाना को0करनैलगंज गोण्डा व शीतल प्रसाद पुत्र माता निवासी विरतिहन पुरवा मोजा कठेला तालाब थाना को0करनैलगंज गोण्डा / प्रार्थिनी के देवर राम सिंह पुत्र मुंशीलाल पता उपरोक्त लगभग 6 माह पहले इनका शव उसी घटनास्थल के बगल झाड़ी में हत्या करके शव लटकाया गया था। जिसकी सूचना थाने पर दी गयी थी। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके उचित कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

3. उक्त तहरीर प्रदर्श क—1 के आधार पर चुन्नी देवी , ममता , कुछ अन्य लोग व शीतल प्रसाद के विरूद्ध अ0सं0—05 / 2022, धारा—302 भा0दं0स0 के तहत प्राथमिकी प्रदर्श क—4 पंजीकृत किया गया। जिसका तस्करा कायमी

मुकदमा की जी0डी0 प्रदर्श क—3 बहवाले रपट नं0—58 समय 19.05 दिनांकित—04.01.2022 में किया गया। बाद कायमी विवेचक द्वारा मौके पर पहुचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क—10 तैयार किया गया। बाद पर्याप्त एंव सम्यक विवेचना अभियुक्त ममता, उसकी मॉ चन्नी देवी उर्फ अन्नपूर्णा व सोन बहादुर उर्फ गदरे के विरूद्ध धारा—302, 120 बी भा0दं0स0 के तहत आरोप पत्र प्रदर्श क—10 बाबत विचारण न्यायालय में प्रेषित किया गया। जिस पर सम्बन्धित मजि0 द्वारा संज्ञान लिये जाने के उपरान्त पत्रावली सेंशन सुपुर्द की गयी। बाद सेंशन सुपुदर्गी पत्रावली स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

4. बाद तलबी अभियुक्त ममता, चन्नी देवी उर्फ अन्नपूर्णा व सोन बहादुर उर्फ गदरे के विरूद्ध तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0—7 गोण्डा द्वारा दिनांक—11.04.2023 को भा0द0स0 की धारा—302 / 34, 120बी के तहत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने विरचित आरोप से इनकार करते हुये परीक्षण की मॉग की।

5. अभियोजन पक्ष की तरफ से अपने कथन के समर्थन में पी0डब्लू0—1 कविता, पी0डब्लू0—2 श्यामसुन्दर, पी0डब्लू0—3 मुशीलाल, पी0डब्लू0—4 हेड कास्टेबिल भूपेन्द्र सिंह, पी0डब्लू0—5 डा0 आर0एस0 गुप्ता, पी0डब्लू0—6 मनीष उपनिरीक्षक, पी0डब्लू0—7 इस्पेक्टर प्रदीप कुमार सिंह, पी0डब्लू0—8 निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह, पी0डब्लू0—9 अजीत कश्यप, पी0डब्लू0—10 मनीष , पी0डब्लू0—11 राजू व पी0डब्लू0—12 का0 रामचन्द्र यादव को परीक्षित कराया गया है।

6. अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में तहरीर प्रदर्श क—1, पंचायतनामा प्रदर्श क—2, कायमी जी0डी0 प्रदर्श क—3, चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क—4, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क—5, फोटो नाश प्रदर्श क—6 , पुलिस फार्म संख्या—13 प्रदर्श क—7 , प्रतिसार निरीक्षक रिपोर्ट व सी0एम0ओ0 रिपोर्ट प्रदर्श क—8 , नमूना मोहर प्रदर्श क—9, नक्शा नजरी प्रदर्श क—10, फर्द बरामदगी प्रदर्श क—11,आरोप पत्र प्रदर्श क—12, फौती सूचना प्रदर्श क—13, फौती सूचना के बाबत इन्द्राज जी0डी0 प्रदर्श क—14 दाखिल किया गया है।

7. **पी०डब्लू०—1 कविता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि** घटना दिनांक—02.01.2022 की सुबह आठ बजे की है। मेरे पति श्याम सिंह शौच के लिए घर से गए थे, लौटकर नहीं आए। गावं के दो लड़के मनीष और अजीत ने आकर बताया कि श्याम सिंह मेरे पति की लाश पड़ी है। लाश हरिशचन्द के

खेत में पड़ी थी। जिस खेत में लाश मिली थी वह मेरे गांव में है। मारने की सूचना पाकर हम लोग मौके पर गए थे। मेरे घर से वह स्थान जहॉ लाश मिली थी लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर है। जब हम लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि लाश पेट के बल पड़ी थी। हम लोग लाश को वहां से उठाकर घर लाए और थाने पर उसी दिन मेरे जेठ श्याम सुन्दर थाने गए थे, हम लोग जाने की स्थिति में नहीं थे। श्याम सुन्दर ने पंचायतनामा करने के लिए थाने पर दरखास दिया था। मेरे पति की हत्या ममता, अन्नपूर्णा, सोन बहादुर उर्फ गदरे तथा शीतला प्रसाद ने मिलकर किया था। मेरे देवर राम सिंह की भी हत्या 6 महीना पहले हो गई। उस सम्बन्ध में इन्हीं मुल्जिमानों के विरूद्ध मेरे ससुर ने एफ.आई.आर दर्ज करवायी थी। उस केस की पैरवी मेरे पति श्याम सिंह करते थे। इसी बात से उपरोक्त मुल्जिमान जान से मारने की धमकी मेरे पति श्याम सिंह को दिया करते थे तथा मेरे पति श्याम सिंह को कहते थे कि मुकदमा की पैरवी मत करो। इसी वजह से मुल्जिमान मेरे पति से रंजिश रखते थे। इसी रंजिश की वजह से मेरे पति श्याम सिंह की हत्या ममता, अन्नपूर्णा, सोनबहादुर उर्फ गदरे तथा शीतला प्रसाद ने मिलकर कर दिया है। मेरे पति की हत्या की सूचना गावं के एक रिश्तेदार से बोलकर लिखवाया था और लिखने वाले ने पढ़कर सुनाया था और सुनने के बाद मैंने उस पर अपना निशानी अंगूठा लगाया था। यह दरखास मैंने ले जाकर थाने पर दिया था। जिसके आधार पर मेरा मुकदमा लिखा गया था। मेरे पति के शव का पंचायतनामा मेरे सामने हुआ था। पंचायतनामा भरने के बाद मुझे पढ़कर सुनाया था और सुनने के बाद मैंने उस पर अपना निशानी अंगूठा लगाया था। तहरीर पत्रावली में शामिल कागज सं0—4/4 पर बने अपने निशानी अंगूठा की गवाह ने पुष्टि किया, जिस पर प्रदर्श क—1 डाला गया। पंचायतनामा कागज सं0—5/35 व 5/36 पर बने अपने निशानी अंगूठा को गवाह ने तस्दीक किया, जिस पर प्रदर्श क—2 डाला गया। घटना के तीन दिन पहले मेरे गांव के संजय व नानबाबू ने भी मेरे पति को जान से मारने की धमकी दिया था जो उपरोक्त मुल्जिमानों के मेली मददगार है। इस घटना के बावत दरोगा जी ने मुझसे पूछतांछ किया था।

8. **पी०डब्लू०—2 श्यामसुन्दर ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि** मैं 1 जनवरी 2022 को लखनऊ से अपनी ससुराल दुर्गापुरवा में आकर रूका था। अगले दिन 2 तारीख को सुबह मेरे बुआ के लड़के ने फोन किया कि तुम्हारे घर पर कोई बात हो गई है। फिर मैंने अपने चाचा के लड़के के पास फोन किया, तो उसने बताया कि श्याम सिंह की मौत हो गई है। फिर उसके बाद मैं

घर पर आया तो पता चला कि दो लड़कों ने बताया था कि हरिशचन्द्र के खेत में कीचड़ में पड़े हुए मेरे भाई को देखा था। मेरे भाई की मौत संदिग्ध हालत में हुई थी, जिसके सम्बन्ध में थाने में सूचना दिया था। मुझे व मेरे परिवार को यह आशंका है कि मेरे भाई की हत्या की गई है। क्योंकि घटना के तीन दिन पहले नानबाबू व संजय से मेरे भाई श्याम सिंह से झगड़ा हुआ था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि राम सिंह के ससुराल वाले तथा नानबाबू व संजय मिलकर मेरे भाई श्याम सिंह की हत्या किए हैं। राम सिंह की ससुराल वालों में ममता, चुन्नी देवी और शीतला प्रसाद की संलिप्तता रही है। इन्हीं लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। दरोगा जी ने मुझसे पूछताछ किया था जो बातें आज मैं अदालत पर बताया हूं यही बातें मैंने दरोगा जी को भी बताई थी। जब घटना घटी थी, तब घटना के सम्बन्ध में ज्यादा जानकारी नहीं थी। बाद में पता चला कि जो मेरा भाई पहले मरा था उसकी सास और पत्नी ममता किसी अन्य व्यक्ति के साथ श्याम सिंह की हत्या से दो पूर्व दिखाई पड़े थे लेकिन कोई भी व्यक्ति गवाही देने के लिए तैयार नहीं हैं। घटना के कुछ दिन पहले हम लोगों को धमकी मिली थी कि किसी परिवार के सदस्य के साथ वही करेगें, जो राम सिंह के साथ किया था। यह धमकी ममता और चुन्नी देवी ने दिया था।

आज से पहले मैं इस मुकदमें में न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर अपना बयान (मुख्य परीक्षा व जिरह) अंकित करवा चुका हूं, आज पुनः न्यायालय द्वारा आहूत किए जाने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मेरे भाई श्याम सिंह के मृत्यु की सूचना दिनांक 02.01.2022 को मैंने थाने पर दिया था। उक्त सूचना मैंने अपने बहनोई मनोज से लिखवाकर थाने पर दिया था, जो मैंने बोला था, वहीं उन्होंने लिखा था। उसके बाद पढ़कर मैंने हस्ताक्षर बनाकर थाने पर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने मेरे भाई के शव का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम करवाया था। उक्त सूचना कागज सं0—5/38 के रूप में संलग्न पत्रावली है, जिसे मैं प्रमाणित करता हूं, जिस पर प्रदर्श क—13 डाला गया।

9. **पी०डब्लू०—3 मंशीलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि** मेरी पत्नी का देहान्त हो चुका है। मेरे चार लड़के दो लड़की थे। अब दो लड़के व दो लड़की बची है। सारे बच्चे शादी शुदा है। मेरे छोटे लड़के राम सिंह की शादी ममता से हुई थी। ममता और राम सिंह के सम्बन्ध ठीक नहीं थे। राम सिंह बाग में लटके हुए पाए गए थे। यह घटना 2 जनवरी 2022 की है। मेरे माझिल लड़के श्याम सिंह षौच के लिए घर से पूरब खेत में गए थे। करीब एक घण्टे बाद दो लड़के मनीष और अजीत ने आकर बताया कि श्याम सिंह का

मुंह कीचड़ में पड़ा है और शरीर ऊपर दिखाई पड़ रहा है, खुदे हुए गड्ढे में पड़े है। तब हम हमारे परिवार व गांव के लोग वहां पहुॅचे तो देखा कि श्याम सिंह खत्म हो चुके थे। फिर वहां से श्याम सिंह को उठाकर अपने घर लेकर आए। फिर किसी ने पुलिस वालों को फोन किया और पुलिस आयी। पुलिस को श्याम सिंह की पत्नी ने तहरीर दिया था, जिसके आधार पर श्याम सिंह का पोस्टमार्टम हुआ था। इसी बीच में ममता, चुन्नी देवी, सोन बहादुर व शीतला प्रसाद जो विन्हितन पुरवा के हैं तथा मेरे गांव के दो लोग नानबाबू और संजय धमकी देने लगे कि अगर मुकदमें की पैरवी करोगे, तो जैसा हाल राम सिंह का हुआ है, वही हाल तुम्हारा भी हो जाएगा। इसी आधार पर श्याम सिंह की पत्नी कविता ने मुल्जिमानों के खिलाफ मुकदमा लिखाया था। इस मुकदमें के मुल्जिम सोना बहादुर उर्फ गदरे राम सिंह की पत्नी ममता से बातचीत करते थे और ममता राम सिंह का फोन नहीं उठाते थे, तो राम सिंह बम्बई से घर चले आए, चुन्नी देवी और ममता ने रामसिंह की हत्या कर दी। उसी मुकदमें की पैरवी श्याम सिंह करते थे इसी वजह से श्याम सिंह की हत्या की गई। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

10. <u>पी०डब्लू०—4 हे0का0भूपेन्द्र सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि</u> दिनांक—04.01.2022 को मैं बतौर हेड़ मोहर्रिर थाना कोतवाली करनैलगंज में तैनात था। उस दिन मेरी डयूटी कार्यलेख पर थी। उस दिन वादिनी द्वारा दाखिल तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0—5/22 धारा 302 भा0दं0सं0 विरूद्ध चुन्नी देवी आदि की कायमी जीडी सं0—58 समय 19.05 बजे दिनांक—04.01.2022 को मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर बोल बोलकर कायमी कराई गई थी, जिसके आधार पर प्रकरण की चिक एफ.आई.आर मु0अ0सं0 5/22 कम्प्यूटरकर्मी को बोल बोलकर तहरीर के अनुसार कराई गई थी और मुकदमा कायमी का पृष्ठांकन दाखिल तहरीर के पृष्ठ भाग पर अपने लेख व हस्ताक्षर मैं अंकित किया है। प्रकारण की कायमी व चिक एफ.आई.आर को स्वयं के द्वारा बोल बोलकर कम्प्यूटरकर्मी द्वारा टंकित कराए जाने और प्रिंट आउट प्राप्त कर सम्बन्धित को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराए जाने की मैं पुष्टि करता हूं। मेरे द्वारा टंकित कराई गयी कायमी जीडी पत्रावली में कागज सं. 5/23 के रूप में तथा चिक एफ.आई.आर कागज सं0—4/1 लगायत 4/3 के रूप में पत्रावली में संलग्न है जिसे सीसीटीएनएस प्रणाली पर मेरे द्वारा बोल बोलकर टंकित कराया गया, जिस पर क्रमशः <u>प्रदर्श क—3</u> व <u>प्रदर्श क—4</u> डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

11. **<u>पी०डब्लू०—5 डा0 आर0एस0गुप्ता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा</u>**

है कि दिनांक–03.01.2022 को मैं जिला अस्पताल गोण्डा में बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में तैनात था। उसी दिन मेरी ड्यूटी शव विच्छेदन ग्रह गोण्डा में लगी थी। मेरे द्वारा मृतक श्याम सिंह पुत्र मुंशीलाल निवासी पूरे महेशी कोचा कासिमपुर थाना–करनैलगंज जिला गोण्डा उम्र 35 वर्ष के शव का शव विच्छेदन दिनांक 03.01.2022 को किया गया था। शव को कान्सटेबल पुलिस राजेश शर्मा व राहुल पाल 8 पुलिस प्रपत्रों के साथ लाया गया था। शव की शिनाख्त मृतक के भाई श्याम सुन्दर द्वारा की गयी थी। शव विच्छेदन की कार्यवाही 3.10 पीएम से 4.00 पीएम तक चली थी, जिस पर शव विच्छेदन आख्या सं0– 05/22 डाला गया। शव विच्छेदन की कार्यवाही के दौरान मन्दीप नाम के व्यक्ति से वीड़ियों रिकार्डिग करायी गयी।

शव का बाह्य परीक्षण– ऊंचाई 154 सेमी. शरीर मध्यम व अच्छी काठी की थी।

पहनावा– मृतक स्वेटर, शर्ट, पायजामा, मफलर, व तावीज के साथ काला धागा पहने था। चारों जगह पर दोनों हाथ व दोनों पैर में अकड़न मौजूद थी। आंख व मुंह बन्द था।

मृत पूर्व आयी चोटें–

1. निलगू सूजन 22 x 18 सेमी. सिर के बीचो बीच हिस्से पर, शव विच्छेदन के दौरान खोलने पर खून का थक्का जमा था।

2. दाहिने सीने पर लेट्रल तरफ 12 सेमी. below right axcile नीचे की तरफ 5 से 10 पसलियां टूटी हुई थी। निलगू सूजन का आकर 20 x 15 सेमी. दाहिने सीने की ओर था।

3. निलगू सूजन 7 x 2 सेमी. बाए भुजा पर कंधे से 10 सेमी. नीचे की ओर था।

4. फटा घाव 1 x 0.5 सेमी. बाए कोहनी पर था।

5. खरोंच 1 x 1 सेमी. बाए पैर पर आगे की ओर था, जो 10 सेमी ऊपर बाए Ankee joint से ऊपर था।

6. निलगू चोट 08 x 1.5 सेमी. बांए स्कैपुला के नीचे था।

शव का आन्तरिक परीक्षण–

झिल्लियां कन्जेस्टेड थी, वजन 1100 ग्राम तथा मस्तिष्क में चारों और होमोटोमा मौजूद था। फेफड़ा प्लूरा पेल था। फेफड़े का वजन 900 ग्राम था। हृदय के सभी चैम्बर खाली थे। वजन 250 ग्राम था। उदर के पेरीटोनियम 2 लीटर खून मौजूद था। आमाशय में 50 मिग्रा तरल पदार्थ था। छोटी आंत में

पेस्टी मैटेरियल गैस तथा बड़ी आंत में मल और गैस थी। यकृत लैस्रेटड था व वजन 1500 ग्राम था। प्लीहा व गुर्दा पेल था तथा वजन क्रमशः 120 व 250 ग्राम था। मूत्राशय खाली थे।

अभिमत– मृतक का सम्भावित समय 1 से डेढ़ दिन का था।

मृतक का तात्कालिक कारण– अधिक खून का स्त्राव व शॉक्ड था और वजह मृत पूर्व आयी चोटे थी। सारी चोटे मृत पूर्व आयी हुई थी जो मृत्यु का कारण है।

सम्बन्धित शव विच्छेदन आख्या पत्रावली में 5क/43 व 5/44 के रूप में शामिल पत्रावली है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

12 **पी०डब्लू०–6 मनीष उपनिरीक्षक ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि** दिनांक–02.01.2022 को मैं थाना करनैलगंज में बतौर उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था, उसी दिन श्याम सुन्दर पुत्र मुंशीलाल निवासी गांव पूरे महेरसी कोंचा कासिमपुर थाना करनैलगंज गोण्डा द्वारा थाने पर आकर सूचना दी गयी कि उसका छोटा भाई श्याम सिंह उम्र करीब 35 वर्ष शौच के लिए घर से सुबह 8 बजे निकला था, तभी उसके चचेरे भाई रोहित ने मुझे सूचना दिया कि आपके भाई हरिशचन्द्र कौरी निवासी गांव फतवापुर मौजा चोरी के खेत में पड़ा हुआ है। उसका सिर पानी में डूबा हुआ है। उपरोक्त सूचना पर मैं अपने हमराहियों के साथ मय दिगर कागजाता के साथ मौके पर पहुंचा तो देखा कि मृतक का शव घर के सामने द्वार पर तख्त पर चिता दशा में पड़ा हुआ है और परिवार जन मौके पर रो विलाप कर रहे हैं। उपस्थित परिवार जन को समझा बुझाकर प्रर्याप्त रोशनी की व्यवस्था कर वहां उपस्थित लोगों में से ही पंचांग नं0–1 श्रीमती कविता, नं. 2 श्याम सुन्दर, 3. सुनील कुमार, 4. उदित, 5. रोहित पंचायतनामा की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

दशा शव– मृतक का शव मृतक के घर के द्वारे तख्त पर चित दशा में मुंह आसमान की ओर, दोनों हाथों की मुट्ठी खुली, दोनों आंखे व मुंह बंद, पैर के दोनों अंगूठों को एक दूसरे से कपड़े से बंधा है।

हुलिया– मृतक का शव दोहरा मजबूत जिस्म आंख, नाक कान का दोसक व रंग गंधुम व उम्र 35 साल रही थी। पहनावा मृतक के शरीर पर 1 अदद इनर रंग काला, 1 अदद पैंट रंग सफेद, 1 अदद हाफ स्वेटर रंग पीला व 1 अदद अण्डर वियर कंपनी कीएट, गीले कपड़ों को निकालकर परिवार वालों द्वारा 1 सफेद पाजामा, 1 नीला कमीज, 1 हाफ स्वाटर रंग हरा, गले में 1 अदद मफलर भूरे रंग उनी व गले में काले धागे में ताबीज बंधा था, मृतक के शरीर

को उलट पलट कर देखा गया तो शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं थी।

राय पंचान– सभी पंचानों से अलग–अलग मृत्यु का सही कारण जानने के सम्बन्ध में पूछा गया तो सभी ने सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराए जाना आवश्यक बताया। मेरी राय पंचानों की राय से मेल खाने के कारण शव को एक सफेद शव कित बैग में रखकर शील सर्व मोहर कर नमूना मुहर तैयार कर मृतक के शव को सर्वशील मोहर के मय दिगर कागजात वास्ते पोस्टमार्टम कांस्टेबल राजेश शर्मा व राहुल पाल को सुपुर्द कर शव विच्छेदन ग्रह गोण्डा भेजा गया। मेरे द्वारा मृतक श्याम सिंह पुत्र मुंशीलाल के पंचायतनामा की कार्यवाही 18.30 बजे दिनां 02.01.2022 को समाप्त की गयी। उपरोक्त पंचायतनामा पत्रावली में कागज सं0–5/35, 5/36 के रूप में शामिल पत्रावली है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसको मैं तस्दीक करता हूं, जिस पर सभी पंचानों व मेरे हमराहियों के हस्ताक्षर बना हुआ है, जिस पर <u>प्रदर्श क–2</u> पूर्व में डाला गया है। पत्रावली में शमिल कागज सं0–5/39 फोटोनाश 5/40 पुलिस फार्म सं0–13 कागज सं0–05/41, चिट्ठी आर.आई व चिट्ठी सी.एम.ओ. तथा कागज सं0–5/42 नमूना मोहर के रूप में शामिल पत्रावली है, जिसे मैं पुष्टि करता हूं। जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–6, प्रदर्श क–7, प्रदर्श क–8, प्रदर्श क–9 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

13. **<u>पी०डब्लू०–7 इंसपेक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि</u>** दिनांक 04.01.2022 को मैं थाना करनैलगंज में बतौर प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात था। उसी दिन मेरे द्वारा थाने पर मु0अ0सं0–005/2022 धारा 302 भा०दं०सं० थाना कर्नलगंज की विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की गयी और उसी दिन नकल चिक नकल रपट का अवलोकन किया व एफ०आई०आर० लेखक भूपेन्द्र सिंह का बयान अंकित किया। दिनांक 05.01.2022 सी0डी0 2 किता कर वादिनी मुकदमा श्रीमती कविता व मृतक के परिजन श्याम सुन्दर, सुनील कुमार रोहित कुमार, श्रीमती कामिनी का बयान अंकित कर घटना स्थल का निरीक्षण किया। सम्बन्धित नक्शा नजरी पत्रावली में कागज संख्या–5/24 के रूप में शामिल है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसे मैं तस्दीक करता हूं जिस पर <u>प्रदर्श क–10</u> डाला गया। दिनांक 08.01. 2022 सी0डी0 3 किता कर साक्षी अजीत कश्यप, मनीष कश्यप, राम स्वरूप, रोहित कश्यप, सहदेव का बयान अंकित किया। दिनांक 10.01.2022 सी०डी० 4 किता कर मृतक श्याम सिंह के पंचायत नामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया। दिनांक 18.01.2022 सी०डी० 5 किता कर पी०एम० कर्ता डाक्टर रमाशंकर गुप्ता का बयान अंकित किया। दिनांक 30.01.2022 सी0डी0 6

किता कर घटना की सत्यता जानने हेतु मृतक के गांव पहुंचा व स्वतंत्र गवाहों की तलाश की व सत्यता जानने के लिए मुखबिर खास को सुरागरसी पतारसी हेतु क्षेत्र में रवाना किया। दिनांक– 15.02.2022 सी0डी0 7 किता कर मुखबिर खास द्वारा मृतक के परिवार व नानबाबू आदि में झगड़ा होने के बावत जानकारी हासिल की। दिनांक 28.02.2022 सी०डी० 8 किता कर गवाह काली प्रसाद व रंजीत कश्यप का बयान अंकित किया। दिनांक 10.03.2022 सी0डी0 9 किता कर एस०आई० मनीष कुमार जिनके द्वारा पंचायतनामा की कार्यवाही की गयी थी, और उनके साथी आरक्षी राजेश शर्मा राहुल पाल आदि का बयान अंकित किया। दिनांक 18.03.2022 सी0डी0 10 किता कर गवाह जग प्रसाद, राम स्वरूप, बिहारी प्रसाद का बयान अंकित किया। दिनांक 05.04.2022 सी0डी0 11 किता कर गवाह विष्णु प्रसाद व मृतक की चचेरी बहन दीपा कश्यप का बयान अंकित किया। दिनांक 18.04.2022 सी०डी० 12 किता कर गवाह श्रीमती मीना पत्नी अमरनाथ कश्यप व श्री लाल बहादुर का बयान अंकित किया। दिनांक 01.05.2022 सी०डी० 13 किता कर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित पूरे महेशी मौजा कोचा कासिम पहुंच कर चश्मदीद साक्षी को देखा गया। दिनांक 06.05.2022 सी0डी0 14 किता कर स्वयं का स्थानांतरण प्रभारी डायल 112 में होने का केस डायरी का इन्द्राज किया। तत्पश्चात मेरा स्थानांतरण हो गया।

14.पी०डब्लू०–8 निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षामें कहा है कि दिनांक–10.05.2022 को मैं प्रभारी निरीक्षक थाना करनैलगंज में तैनात था। उसी दिन मेरा द्वारा मु0अ0सं0–005/2022, धारा–302 भा0दं0सं0 पंजीकृत मुकदमा थाना करनैलगंज की विवेचना पूर्व विवेचक प्रदीप कुमार सिंह द्वारा की जा रही थी, ग्रहण की गयी। उसी दिन सीडी 15 किता कर सम्बन्धित विवेचना ग्रहण करने का केस डायरी ने इन्द्राज किया। दिनांक–17.05.2022 सीडी 16 किता कर पूर्व किए पर्चो का अवलोकन किया। दिनांक–28.05.2022 सीडी 17 वादिनी मुकदमा का तलाश किया। दिनांक 09.06.2022 सीडी 18 किता कर ग्राम पूरे महेशा कोचा कासिमपुर जाकर वादी मुकदमा के न मिलने पर मृतक के भाई रोहित कश्यप से पूछताछ की गयी। दिनांक–22.06.2022 सीडी 19 किता कर सम्बन्धित ग्राम पूरे महेशा पहुंच कर घटना के चश्मदीद साक्षी का तलाश किया। दिनांक–05.7.22 सीडी 20 किता कर चश्मदीद साक्षी का तलाश किया। 18.07.22 सीडी 21 किता कर चश्मदीद साक्षी का तलाश किया। दिनांक 05.08.22 सीडी 22 किता कर मुखबिर खास को घटना को देखने वाले चश्मदीद साक्षियों के बावत तलब किया। दिनांक 17.

08.22 सीडी 23 किता कर मृतक के परिजनों को गावं के कुछ पड़ोसियों द्वारा घटना से दो दिन पूर्व ममता तथा उसकी माता जी के साथ एक अन्य व्यक्ति को देखे जाने के सम्बन्ध में केस डायरी में इन्द्राज किया। दिनांक 27.08.222 सीडी 24 किता कर मजीद बयान गवाह श्याम सुन्दर, सुनील, कामिनी का अंकित किया। दिनांक 08.09.2022 सीडी 25 किता कर मृतक के परिजन से जानकारी हासिल की गयी। मजीद बयान रोहित कुमार व दीपा कश्यप का लिया गया। 11.09.22 सीडी 26 किता कर वादिनी कविता का बयान व श्यामसुन्दर व सुनील का मजीद बयान अंकित किया। दिनांक 18.09.22 सीडी 27 किता कर मजीद बयान रोहित व पंचायतनामा के गवाह उदित का बयान मृतक के पिता मुंशीलाल का बयान अंकित किया। मुखबिर खास को तलब कर घटना के बावत जानकारी हासिल की गयी। 23.09.2022 सीडी 28 किता कर मजीद बयान लाल बहादुर व जग प्रसाद का अंकित किया, साथ ही ग्राम खाले कोचा कासिमपुर पहुंच कर राजू पुत्र मनीराम का बयान अंकित किया। 30.09.22 सीडी 29 थाने से प्रस्थान कर कथेला तालाब पहुंचकर अभियुक्त सोन बहादुर का तलाश किया तथा मुखबिर से सोन बहादुर के बारे में पता करने को कहा गया। दिनांक–01.10.2022 सीडी 30 किता कर मुखबिर की सूचना मु0 उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता ममता के प्रेमी सोन बहादुर का ग्राम बोत्नपुरवा कथेला तालाब में ममता के घर पर मौजूद होने की सूचना पर सम्बन्धित ठिकाने पर मय पुलिस टीम दबिश दी गयी तो वहां पर दो महिला एक पुरूष मिले। पुरूष ने नाम सोन बहादुर उर्फ गदरे पुत्र आशाराम निवासी बोत्नपुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा उम्र 23 वर्ष व 1 महिला ने अपना नाम ममता पुत्र गुलाबचन्द्र उम्र 22 वर्ष दूसरी महिला ने अपना नाम चन्नी देवी उर्फ अन्नपूर्णा निवासीगण बोत्नपुरवा कथेला तालाब थाना करनैलगंज बताया। महिला हमराही सिपाहियों की मदद से जब चुन्नी से कड़ाई से पूछताछ की गयी, अपनी लड़की ममता के प्रेमी सोन बहादुर के साथ घटना को अंजाम देने की बात बतायी। मृतक श्याम सिंह को जिस आलाकत्ल से अभियुक्त सोन बहादुर द्वारा मारा गया था उस लकड़ी के पटरे को जिसमें लोहे की कील लगी थी। सोन बहादुर व ममता द्वारा चलकर आला कत्ल छुपाने वाली जगह बतायी गयी। उपरोक्त आला कत्ल के बरामदगी के दौरान सिरे पर कील के अगल–बगल खून लगे थे। आला कत्ल को लेकर सील सर्व मुहर किया गया। गिरफ्तारी के समय मानवाधिकार आयोग व सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन किया गया। गिरफ्तारी की सूचना चुन्नी देवी के पुत्र को दी गयी। सम्बन्धित फर्द पत्रावली में कागज सं0–5/56 के रूप में संलग्न है। जिस पर

प्रदर्श क—11 डाला गया। साथ ही गिरफ्तार अभियुक्तगण का बयान अंकित किया गया। सम्बन्धित के द्वारा जुर्म इकबाल किया गया व अभियुक्ता को 14 दिवस के रिमाण्ड की याचना की गयी। दिनांक—03.10.2022 सीडी 31 स्वतंत्र साक्षी माहेश्वरी प्रसाद व धनंजय सिंह, चन्द्रशेखर पाण्डेय का बयान अंकित किया। साक्षीगण बयान धारा—170(2) दं0प्र0सं0 बन्धपत्र लिया गया। दिनांक—08.10.2022 सीडी 32 किता कर एफ.एस.एल पावती रसीद का अवलोकन किया। दिनांक 13.10.22 सीडी 33 किता कर स्वतंत्र साक्षी रामकेवल, मो0 कैफी का बयान अंकित किया। दौरान विवेचना शीतला प्रसाद के नाम का विलोपन किया एवं एकत्रित किए गए साक्ष्य संकलनों के आधार पर अभियुक्तगण ममता व चन्नी देवी द्वारा आपराधिक षडयन्त्र रचकर सोन बहादुर उर्फ गदरे के साथ मिलकर श्याम सिंह की हत्या किए जाने का पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर ममता चन्नी देवी उर्फ अन्नपूर्णा व अभियुक्त सोन बहादुर उर्फ गदरे के विरूद्ध धारा—302,120बी भा0दं0सं0 में न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया। सम्बन्धित आरोप पत्र पत्रावली में 5क/01 लगायत 5क/19 के रूप में शामिल पत्रावली है। जिस पर मेरे लेख व हस्ताक्षर है। उपरोक्त प्रपत्र पर उच्चाधिकारी का भी हस्ताक्षर बना हुआ है। दिनांक—10.11.2022 को एससीडी 1 किता कर मजीद बयान वादिनी कविता, श्यामसुन्दर व मंशीलाल का पुनः मेरे द्वारा लिया गया। विलोपित आरोपी शीतल प्रसाद का बयान अंकित कर विवेचना समाप्त की गयी। आरोप पत्र पर प्रदर्श क—12 डाला गया। सम्बन्धित माल मुकदमाती (आलाकत्ल) मेरे समक्ष आया हुआ है। ये वही आलाकत्ल है कि अभियुक्तगणों के निशानदेही पर अभियुक्त के घर से बरामद हुआ था। सम्बन्धित पटरे पर वस्तु प्रदर्श 1 व कपड़े पुलिन्दे पर वस्तु प्रदर्श 2 डाला गया। जिस पर मेरा हस्ताक्षर व सम्बन्धित मु0अ0सं0, धारा व अभियुक्तगणों द्वारा बनाए गए हस्ताक्षर अंकित है।

15. पी०डब्लू०—9 अजीत कश्यप ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि घटना दिनांक—02.01.2022 की है सुबह लगभग 10 बजने को थे मैं और मेरे चाचा के लड़के मनीष कश्यप खेत में शौच के लिए जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि श्याम सिंह चाचा हरिश्चन्द्र के खेत में पड़े हुए थे सिर उनका पानी में था। खेत रबदा युक्त था। हम लोग जो अपना शौच का डिब्बा लेकर गए थे भाग कर आए मन्दिर के पास पहुंचे तो श्याम के चचेरे भाई रोहित मिले तो मैंने उनसे सारा वाकया बताया। तब गांव व परिवार के काफी लोग पहुंचे तो देखा कि श्याम सिंह खेत में मरे पड़े हुए थे। यही बात दरोग जी जब आए थे तो मैंने यही बात उनको बताया था। यही मेरा बयान है।

16. <u>**पी०डब्लू०—10 मनीष ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि**</u> घटना 02 जनवरी वर्ष 2022 की है। सुबह का 10 बजा हुआ मेरे चाचा के लड़के अजीत व हम दोनों लोग डिब्बे में पानी लेकर शौच के लिए जा रहे थे कि दुसरे पुरवे के रहने वाले हरिशचन्द्र का खेत था, जो थोड़ी बहुत उबड़ खाबड़ था गेहूं की सिंचाई हुई थी। हम लोग जब हरिश्चन्द्र के खेत के पास पहुंचे तो देखा कि श्याम सिंह खेत में पड़े हुए है और उनका सिर हल्के फुल्के कीचड़ युक्त पानी में था। तब हम दोनों लोग हडबड़ा कर शौच का डिब्बा फेक दिए और मन्दिर के पास पहुंचे तो श्याम सिहं के चचेरे भाई रोहित खड़े हुए थे उनसे सारी बाते बताई तब गावं के तमाम लोग व परिवार के तमाम लोग पहुंचे तो देखा कि श्याम सिंह मरे हुए पड़े है। दरोगा जांच करने आए थे हमसे पूछे थे जैसा हमने देखा था वैसा हमने बताया था।

17. <u>**पी०डब्लू०—11 राजू ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि**</u> मैं सुअर चराने का काम करता हूं, जिस श्याम सिंह की हत्या हुई थी उस दिन मैंने श्याम सिंह को शौच के लिए जाते हुए देखा था। मुझे दोपहर में पता चला कि श्याम सिंह की मृत्यु हो गई है। आज मैं सम्मन की सूचना पर गवाही देने आया हूं। मैं अपने जानवर चरा रहा था इसलिए जानवर को छोड़कर मैं उनके घर देखने नहीं गया था। मैं सन् 2019 से गांव में रहता हूं। यह सही है कि श्याम सिंह की हत्या हुई या नहीं हुई मैं नहीं जानता हूं। श्याम सिंह के पिता का नाम मुंशीलाल है। मेरा घर उनके घर से डेढ़ किलोमीटर पर पड़ता हैं मैं अपने खेत में सुअर का बाड़ा बनाया हूं, जब मैं रोटी खाकर सुबह 8 बजे निकलता हूं। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

18. <u>**पी०डब्लू०—12 का0 रामचन्द्र यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि**</u> दिनांक—02.01.2022 को थाना करनैलगंज में कांन्सटेबल/सीसीटीएनएस कर्मचारी के रूप में तैनात था। उस दिन श्याम सुन्दर पुत्र मुंशीलाल निवासी—पूरे महेशी, कोंचा कासिमपुर थाना करनैलगंज के द्वारा अपने भाई श्याम सिंह के मृत्यु के सम्बन्ध में दी गई सूचना पर हेड़ मोहर्रिर भूपेन्द्र सिंह के बोलने पर मेरे द्वारा जी0डी0 नं0—46 दिनांक—02.01.2022 समय 16.22 बजे तस्करा इत्तेफाकिया कायम की गई थी। उक्त कायमी पत्रावली में कागज सं0—5/37 के रूप में संलग्न है, जिसे मैं तस्दीक करता हूं, जिस पर <u>प्रदर्श क—14</u> डाला गया।

19. साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान धारा—313 द0प्र0स0 के तहत लेखबद्ध किया गया। अभियुक्तगण द्वारा कहा गया है कि झूठी तहरीर लिखायी गयी है व झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। गलत

एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है। गलत पंचायतनामा हुआ। फर्जी कागजात तैयार हुआ। गलत नक्शा नजरी व आरोप पत्र प्रेषित किया गया। गवाहान द्वारा झूठा बयान दिया गया है। औपचारिक साक्षियो द्वारा गलत प्रपत्र तैयार कर गलत बयान दिया गया है। अभियुक्त ममता व चन्नी देवी उर्फ अन्नपूर्णा द्वारा विशेष कथन मे कहा गया है कि जायदाद के रंजिश से झूठा मुकदमा लिखाया है। अभियुक्त सोन बहादुर द्वारा विशेष कथन में कहा गया है कि मै पूर्ण रूप से बेगुनाह हूँ। मैने कोई अपराध कारित नही किया है। मेरे गांव के दुश्मनान ने गलत तरीके से मुझे भी प्रस्तुत मुकदमें में फंसा दिया है, क्योकि प्रधानी चुनाव में मैने व मेरे पिता जी ने प्रधान जी का विरोध किया था। उक्त घटना से मेरा कोई वास्ता सरोकार नही है।

20. मैने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एंव अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना एंव सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया।

21 अभियोजन द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि घटना अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0—1 लगायत 12 के साक्ष्य से युक्तियुक्त सन्देह के परे साबित है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाय।

22 जबकि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि मृतक श्याम सिंह की हत्या उनके द्वारा नही कारित की गयी, मात्र जायदाद में उसका हिस्सा हडपने के नियत से फंसाया गया है। घटना का कोई प्रत्यक्ष एंव स्वन्तत्र साक्षी नही है। घटना को किसी भी साक्षी द्वारा अपनी ऑखो से देखे जाने का कोई कथन नही किया गया है। अभियुक्त सोन बहादुर को गांव की प्रधानी चुनावी रजिंश के कारण झूठा फंसाया गया है। इसलिये अभियुक्तगण को अपराध उपरोक्त से दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

23. अब यह देखना है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षियो के साक्ष्य से घटना युक्तियुक्त सन्देह के परे साबित होती है।

24 पी0डब्लू0—1 कविता जो कि मृतक श्याम सिंह की पत्नी है, ने अपने साक्ष्य में कहा है कि दिनांक—02.01.2022 की सुबह आठ बजे की है। मेरे पति श्याम सिंह शौच के लिए घर से गए थे, लौटकर नहीं आए। गावं के दो लड़के मनीष और अजीत ने आकर बताया कि श्याम सिंह मेरे पति की लाश पड़ी है। लाश हरिशचन्द के खेत में पड़ी थी। जिस खेत में लाश मिली थी वह मेरे गांव में है। मारने की सूचना पाकर हम लोग मौके पर गए थे। मेरे घर से वह स्थान जहॉ लाश मिली थी। ...मेरे पति की हत्या ममता , अन्नपूर्णा सोनबहादुर उर्फ गदरे तथा शीतला प्रसाद ने मिलकर किया था। मेरे देवर रामसिंह की भी हत्या

छः महीना पहले हो गयी थी। उस सम्बन्ध में इन्ही मुल्जिमान के विरूद्ध मेरे ससुर ने एफ0आई0आर0 दर्ज करवायी थी। उस केस की पैरवी मेरे पति श्याम सिंह करते थे। इसी बात से उपरोक्त मुल्जिमान जान से मारने की धमकी मेरे पति श्याम सिंह को दिया करते थे तथा मेरे पति श्याम सिंह को कहते थे कि मुकदमा की पैरवी मत करो। इसी वजह से मुल्जिमान मेरे पति से रंजिश रखते थी। इसी रंजिश की वजह से मेरे पति श्याम सिंह की हत्या ममता , अन्नपूर्णा, सोन बहादुर उर्फ गदरे तथा शीतला प्रसाद ने मिलकर कर दिया । प्रतिपरीक्षा में कहा है कि रामसिंह के मरने के 6—7 महीने बाद श्याम सिंह की मृत्यु हुई थी। श्याम सिंह की लाश एक खेत में मिली थी। किसका खेत था। मुझे नही मालूम है। '' उक्त से यह स्पष्ट है कि कविता ने अपनी ऑखो से किसी भी व्यक्ति को मृतक श्याम सिंह को मारते हुये नही देखा। मात्र पुरानी रजिंश जिसमें उसके देवर रामसिंह की हत्या मुल्जिमान द्वारा किये जाने और उक्त मुकदमें की मुल्जिमानो के विरूद्ध पैरवी मृतक श्याम सिंह द्वारा किये जाने की रजिंश को लेकर इन्ही मुल्जिमानो द्वारा श्याम सिंह की हत्या किये जाने की शंका के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट मुल्जिमानो के विरूद्ध दर्ज कराया जाना कहा गया है।

25. पी0डब्लू0—2 श्याम सुन्दर ने अपने बयान में कहा है कि 1 जनवरी 2022 को लखनऊ से अपनी ससुराल दुर्गापुरवा में आकर रूका था। अगले दिन 2 तारीख को सुबह मेरे बुआ के लड़के ने फोन किया कि तुम्हारे घर पर कोई बात हो गई है। फिर मैंने अपने चाचा के लड़के के पास फोन किया, तो उसने बताया कि श्याम सिंह की मौत हो गई है। फिर उसके बाद मैं घर पर आया तो पता चला कि दो लड़कों ने बताया था कि हरिशचन्द्र के खेत में कीचड़ में पड़े हुए मेरे भाई को देखा था। मेरे भाई की मौत संदिग्ध हालत में हुई थी, जिसके सम्बन्ध में थाने में सूचना दिया था। मुझे व मेरे परिवार को यह आंशका है कि मेरे भाई की हत्या की गयी है, क्योकि घटना के तीन दिन पहले नान बाबू व संजय से मेरे भाई श्याम सिंह से झगडा हुआ था। इसलिये मुझे पूरा विश्वास है कि रामसिंह के ससुराल वाले तथा नानबाबू व संजय मिलकर मेरे भाई श्याम सिंह की हत्या किये है। रामसिंह को ससुराल वालो में ममता , चुन्नी देवी और शीतल प्रसाद की संलिप्तता रही है। इन्ही लोगो ने घटन को अंजाम दिया है। जब घटना घटी थी, तब घटना के सम्बन्ध में ज्यादा जानकारी नही थी। बाद में पता चला कि जो मेरा भाई पहले मरा था, उसकी सास और पत्नी ममता किसी अन्य व्यक्ति के साथ श्याम सिंह की हत्या से दो दिन पूर्व दिखाई पडे थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति गवाही देने के लिए तैयार नही है। घटना के

कुछ दिन पहले हम लोगो को धमकी मिली थी कि किसी परिवाद के सदस्य के साथ वही करेगे, जो राम सिंह के साथ किया था। यह धमकी ममता और चुन्नी देवी ने दिया था। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कहा है कि मैने अपनी ऑख से कोई घटना नही देखी थी। मैने दूरभाष से घटना के बाबत सूचना मिलने कि बात दरोगा जी को बतायी थी। मैने दरोगा जी को अपने बयान में वह मोबाइल नम्बर जिससे मुझे सूचना प्राप्त हुई थी, उसका नम्बर दरोगा जी को नही बताया बल्कि अपना मोबाइल नम्बर बताया था। उक्त साक्षी ने भी मृतक को मारते हुये किसी को अपने ऑखो से मारते हुये नही देखा है।

26. पी0डब्लू0—3 मुशीलाल जो मृतक का पिता है, ने भी मेरे छोटे लड़के राम सिंह की शादी ममता से हुई थी। ममता और राम सिंह के सम्बन्ध ठीक नहीं थे। राम सिंह बाग में लटके हुए पाए गए थे। यह घटना 2 जनवरी 2022 की है। मेरे माझिल लड़के श्याम सिंह षौच के लिए घर से पूरब खेत में गए थे। करीब एक घण्टे बाद दो लड़के मनीष और अजीत ने आकर बताया कि श्याम सिंह का मुंह कीचड़ में पड़ा है और शरीर ऊपर दिखाई पड़ रहा है, खुदे हुए गड्ढे में पड़े है। तब हम हमारे परिवार व गांव के लोग वहां पहुॅचे तो देखा कि श्याम सिंह खत्म हो चुके थे। फिर वहां से श्याम सिंह को उठाकर अपने घर लेकर आए। प्रतिपरीक्षा में कहा है कि कविता मेरी बहू है। संजय व नानबाबू को मै जानता हूॅ। संजय और नानबाबू से इस घटना के तीन दिन पहले खेत में आने जाने को लेकर विवाद हुआ था। संजय और नानबाबू ने इस बात की धमकी श्याम सिंह को दिया था कि तुम्हे जान से मार डालेगे। मैने अपनी ऑख से कोई घटना नही देखी और नही किसी को मारते पीटते ही श्याम सिंह को देखा था। मैने शंका व धमकी देने के कारण मैने मुल्जिम का नाम लिखाया था।

27. पी0डब्लू0—9 अजीत कश्यप ने अपने सशपथ बयान में मृतक की लाश के मिलने की सूचना श्यामसुन्दर को देने की बात बताने तथा अपने ऑखो से श्याम सिंह को किसी के द्वारा मारते पीटते नही देखने की बात कही है। इसी प्रकार पी0डब्लू0—10 मनीष ने भी कहा है कि श्याम सिंह कैसे मरे मै यह नही बता सकता हूॅ। पी0डब्लू0—9 व 10 की भॉति पी0डब्लू0—11 ने भी कहा है कि मैने अपनी ऑखो से श्याम सिंह को मारते हुऐ किसी व्यक्ति को नही देखा था।

28. इस प्रकार पी0डब्लू0—1 कविता, पी0डब्लू0—2 श्यामसुन्दर, पी0डब्लू0—3 मुंशीलाल, पी0डब्लू0—9 अजीत कश्यप, पी0डब्लू0—10 मनीष व पी0डब्लू0—11 राजू के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि किसी भी साक्षी द्वारा मृतक को मारते पीटते

या उसकी हत्या करते हुए नही देखा गया।

29. पी0डब्लू0—4 हे0का0 भूपेन्द्र सिंह ने प्रतिपरीक्षा में कहा है कि यह प्रकरण परिस्थितिजन साक्ष्य का है। किसी व्यक्ति ने मृतक को मारते नही देखा था।

30. इस प्रकार उपरोक्त तथ्य के साक्षियो के सम्पूर्ण साक्ष्य के विश्लेषण के उपरान्त यह तथ्य निकलकर आया है कि सम्पूर्ण साक्षियो द्वारा अपने—अपने साक्ष्य में यह कही नही कहा है कि अभियुक्तगण ममता, चन्नी देवी उर्फ अन्नपूर्णा व सोन बहादुर उर्फ गरजे को मृतक श्याम सिंह की हत्या कर उसकी लाश को हरिशचन्द्र के खेत में फेकते हुये उन्होने देखा है।

31. उक्त से यह स्पष्ट कि प्रस्तुत प्रकरण परिस्थितिजनक साक्ष्य पर आधारित है। प्रस्तुत प्रकरण का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नही है और अप्रत्यक्ष अपराध के लिये घटना के आशय को सिद्ध करना अभियोजन का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इस सम्बन्ध में यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नजीर **पवन कुमार उर्फ मोनू मित्तल बनाम राज्य उ0प्र0 आदि, ए0आई0आर0 2015 सुप्रीम कोर्ट 2050 (मंजूनाथ केस)** का उल्लेख करना आवश्यक समझता है। उक्त नजीर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि परिस्थितिजन साक्ष्य को सन्देह से परे सिद्ध करना आवश्यक है और जिस प्रकार से परिस्थितियॉ बतायी जा रही है , उसकी कड़ी एक समंव्यवहार में होनी चाहिये । अगर उसकी कड़ी एक संमव्यवहार में नही है और कड़ी कही पर टूटती है तो यह नही कहा जा सकता है कि अभियोजन ने मामले को सन्देह से परे सिद्ध किया है।

32. माननीय उच्चतम न्यायालय के अनेको विधि व्यवस्थाऐं जिसमे कि **रामसिंह बनाम सोनिया ए0आई0आर0 2007एस0सी0 1218, हुकुम सिंह बनाम स्टेट आफ राजस्थान ए0 आई0 आर0 1977एस0सी01063** में पारिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में दिशा निर्देश जारी की है।

1. जहॉ पारिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धी का निष्कर्ष निकाला जाय, वह पूरी तरह से अकाट्य व निश्चित रूप से सिद्ध हो।

2. उक्त परिस्थितियॉ बिना त्रुटि के निश्चित रूप से इस प्रकृति की हो कि अभियुक्त ही अपराधी हो।

3. समग्र रूप से परिस्थितियॉ इस प्रकार की श्रृखंला निर्मित करती हो, जिससे कि सभी मानवीय सम्भावनाओ के आधार पर सिर्फ इस निष्कर्ष पर पहुचाये कि आरोपित अभियुक्त द्वारा ही अपराध किया गया हो, किसी अन्य

के द्वारा नही।

4. परिस्थितिजन्य साक्ष्य दोषसिद्धी के लिये इस प्रकार का हो कि अभियुक्त के अलावा कोई अन्य दोषी न हो और अभियुक्त की निर्दोषिता कतई दर्शित न हो।

33. उक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में यदि तथ्य के साक्षियो के साक्ष्य का गहनता से परिशीलन किया जाय, से यह साबित है कि मुल्जिमान द्वारा पूर्व में मृतक के भाई राम सिंह की हत्या किये जाने को लेकर मुल्जिमान के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराये जाने तथा उक्त मुकदमा की पैरवी मृतक श्याम सिंह करते थे। उसी रजिंश को लेकर मृतक श्याम सिंह की हत्या मुल्जिमानो द्वारा की गयी। उक्त के सन्दर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध सत्र परीक्षण सं0—355/2022, राज्य प्रति ममता, धारा—306 भा0दं0स0 थाना करनैलगंज जिला गोण्डा में पारित आदेश दिनांक—20.11.2024 की प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल की गयी। जिसके अवलोकन से यह विदित होता है कि मृतक के पिता द्वारा ममता के विरूद्ध अपने पुत्र रामसिंह को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किये जाने के बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। जिसमें मृतक श्याम सिंह गवाह भी थे। साक्ष्योपरान्त अभियुक्त ममता को धारा—306 भा0दं0स0 के तहत दोषसिद्ध किया गया है। इसी मुकदमें की पैरवी श्याम सिंह द्वारा करने के आधार पर श्याम सिंह की अभियुक्तगण ममता, चन्नी देवी उर्फ अन्नपूर्णा व सोन बहादुर उर्फ गदरे द्वारा किये जाने का कथन किया गया है। उक्त से यह स्पष्ट है कि मुल्जिमानो का मृतक श्याम सिंह की हत्या करने का हेतुक(मोटिव) मौजूद था।

34. अब यह देखना है कि क्या उक्त हेतुक को लेकर मृतक श्याम सिंह की हत्या अभियुक्तगण द्वारा की गयी।

35. पी0डब्लू0—1 कविता ने कहा है कि मेरे पति की हत्या ममता , अन्नपूर्णा सोनबहादुर उर्फ गदरे तथा शीतला प्रसाद ने मिलकर किया था। मेरे देवर रामसिंह की भी हत्या छः महीना पहले हो गयी थी। उस सम्बन्ध में इन्ही मुल्जिमान के विरूद्ध मेरे ससुर ने एफ0आई0आर0 दर्ज करवायी थी। उस केस की पैरवी मेरे पति श्याम सिंह करते थे। इसी बात से उपरोक्त मुल्जिमान जान से मारने की धमकी मेरे पति श्याम सिंह को दिया करते थे तथा मेरे पति श्याम सिंह को कहते थे कि मुकदमा की पैरवी मत करो। इसी वजह से मुल्जिमान मेरे पति से रंजिश रखते थी। इसी रंजिश की वजह से मेरे पति श्याम सिंह की हत्या ममता , अन्नपूर्णा, सोन बहादुर उर्फ गदरे तथा शीतला प्रसाद ने मिलकर कर दिया ।

36. इस सन्दर्भ में पी0डब्लू0—2 श्यामसुन्दर ने कहा है कि मुझे व मेरे

परिवार को यह आंशका है कि मेरे भाई की हत्या की गयी है, क्योकि घटना के तीन दिन पहले नान बाबू व संजय से मेरे भाई श्याम सिंह से झगडा हुआ था। इसलिये मुझे पूरा विश्वास है कि रामसिंह के ससुराल वाले तथा नानबाबू व संजय मिलकर मेरे भाई श्याम सिंह की हत्या किये है। रामसिंह को ससुराल वालो में ममता , चुन्नी देवी और शीतल प्रसाद की संलिप्तता रही है। इन्ही लोगो ने घटन को अंजाम दिया है। जब घटना घटी थी तब घटना के सम्बन्ध में ज्यादा जानकारी नही थी। बाद में पता चला कि जो मेरा भाई पहले मरा था, उसकी सास और पत्नी ममता किसी अन्य व्यक्ति के साथ श्याम सिंह की हत्या से दो दिन पूर्व दिखायी पडे थे।

37. पी0डब्लू0—3 मुंशीलाल ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि इस मुकदमें के मुल्जिम सोन बहादुर उर्फ गदरे रामसिंह की पत्नी ममता से बातचीत करते थे और ममता राम सिंह का फोन नही उठाते थे, तो रामसिंह बम्बई से घर चले आये। तो चुन्नी देवी और ममता ने रामसिंह की हत्या कर दी। उसी मुकदमें की पैरी श्याम सिंह करते थे। इसी वजही से श्याम सिंह की हत्या की गयी।

38. इसी सन्दर्भ में पी0डब्लू0—8 विवेचक सुधीर कुमार सिंह के साक्ष्य का अवलोकन किया जाय तो उन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 05.08.22 सीडी 22 किता कर मुखबिर खास को घटना को देखने वाले चश्मदीद साक्षियों के बावत तलब किया। दिनांक 17.08.22 सीडी 23 किता कर मृतक के परिजनों को गावं के कुछ पड़ोसियों द्वारा घटना से दो दिन पूर्व ममता तथा उसकी माता जी के साथ एक अन्य व्यक्ति को देखे जाने के सम्बन्ध में केस डायरी में इन्द्राज किया। दिनाक—30.09.22 सीडी 29 थाने से प्रस्थान कर कथेला तालाब पहुंचकर अभियुक्त सोन बहादुर का तलाश किया तथा मुखबिर से सोन बहादुर के बारे में पता करने को कहा गया। दिनांक—01.10.2022 सीडी 30 किता कर मुखबिर की सूचना मु0 उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता ममता के प्रेमी सोन बहादुर का ग्राम बोटनपुरवा कथेला तालाब में ममता के घर पर मौजूद होने की सूचना पर सम्बन्धित ठिकाने पर मय पुलिस टीम दबिश दी गयी तो वहां पर दो महिला एक पुरूष मिले। पुरूष ने नाम सोन बहादुर उर्फ गदरे पुत्र आशाराम निवासी बोत्नपुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा उम्र 23 वर्ष व 1 महिला ने अपना नाम ममता पुत्र गुलाबचन्द्र उम्र 22 वर्ष दूसरी महिला ने अपना नाम चन्नी देवी उर्फ अन्नपूर्णा निवासीगण बोत्नपुरवा कथेला तालाब थाना करनैलगंज बताया। महिला हमराही सिपाहियों की मदद से जब चुन्नी से कड़ाई से पूछताछ की गयी, अपनी लड़की ममता के प्रेमी सोन बहादुर के साथ घटना को अंजाम देने की बात बतायी। मृतक श्याम सिंह को जिस

आलाकत्ल से अभियुक्त सोन बहादुर द्वारा मारा गया था उस लकड़ी के पटरे को जिसमें लोहे की कील लगी थी। सोन बहादुर व ममता द्वारा चलकर आला कत्ल छुपाने वाली जगह बतायी गयी। उपरोक्त आला कत्ल के बरामदगी के दौरान सिरे पर कील के अगल–बगल खून लगे थे। आला कत्ल को लेकर सील सर्व मुहर किया गया। प्रतिपरीक्षा में ककहा है कि कविता ने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया कि मेरे पति की हत्या से 3 दिन पहले ममता, माता चन्नी व सोन बहादुर को गांव में देखा गया था। आगे प्रतिपरीक्षा में कहा है कि विवेचना मैने दिनांक–10.05.2022 को ग्रहण किया। सबसे पहले श्याम सुन्दर का मजीद बयान लिया। मैने सर्वप्रथम विवेचना ग्रहण करने के पश्चात साक्षी श्यामसुन्दर, साक्षी सुनील व साक्षी कामिनी का मजीद बयान अंकित किया। इन तीनो साक्षी ने अपने मजीद बयान में यह बयान दिया था कि '' ममता व उसकी मॉ के साथ हत्या के दो दिन पहले शीतला प्रसाद को गांव में देखा था। दीपा कश्यप के बयान में भी चचेरे भाई श्याम सिंह की हत्या के दो दिन पहले राम सिंह की पत्नी ममता व उसकी मॉ को शीतला प्रसाद के साथ देखा था। उपरोक्त गवाहो का मैने पुनः मजीद बयान लिया, उसमें गवाहो के बयान में प्रेम प्रसंग की बात आयी।

39. उक्त के सन्दर्भ में फर्द बरामदगी व गिरफतारी अभियुक्त के अवलोकन से यह विदित होता है कि अभियुक्तगण द्वारा अपराध की संस्वीकृति की गयी है तथा कहा गया है कि आलाकत्ल पटरा से श्याम सिंह को मार कर उसकी हत्या कारित की गयी है। उक्त फर्द बरामदगी / गिरफतारी प्रदर्श क–11 पी0डब्लू0–8 विवेचक सुधीर कुमार सिंह द्वारा साबित किया गया है। उक्त आलाकत्ल पटरा वस्तु प्रदर्श –1 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु परीक्षण हेतु भेजा गया है। परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली में सलग्न कागज सं0–8क/ 2 है। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वस्तु प्रदर्श –1 पर मानव रक्त पाया गया है।

40. इस सन्दर्भ में यदि मृतक श्याम सिंह के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया जाय तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर मृत्यु पूर्व 6 चोटे पायी गयी है। जिसको पी0डब्लू0–5 आर0एस0 गुप्ता द्वारा अपने साक्ष्य के माध्यम से साबित किया गया है। मृतक श्याम सिंह के शरीर पर मृत्यु पूर्व निम्न चोटे पायी गयी।

1. निलगू सूजन 22 x 18 सेमी. सिर के बीचो बीच हिस्से पर, शव विच्छेदन के दौरान खोलने पर खून का थक्का जमा था।

2. दाहिने सीने पर लेट्रल तरफ 12 सेमी. below right axcile नीचे की

तरफ 5 से 10 पसलियां टूटी हुई थी। निलगू सूजन का आकर 20 x 15 सेमी. दाहिने सीने की ओर था।

3. निलगू सूजन 7 x 2 सेमी. बाए भुजा पर कंधे से 10 सेमी. नीचे की ओर था।

4. फटा घाव 1 x 0.5 सेमी. बाए कोहनी पर था।

5. खरोंच 1 x 1 सेमी. बाए पैर पर आगे की ओर था, जो 10 सेमी ऊपर बाए Ankee joint से ऊपर था।

6. निलगू चोट 08 x 1.5 सेमी. बांए स्कैपुला के नीचे था।

चिकित्सक पी0डब्लू0—5 ने मृत्यु का कारण अधिक खून का स्राव व शाक्ड थ और वजह मृत पूर्व आयी हुयी थी, जो मृत्यु का कारण है।

41. उक्त से यह स्पष्ट है कि फर्द बरामदगी में जो अभियुक्तगण द्वारा संस्वीकृति की गयी है कि अभियुक्तगण मिलकर आलाकत्ल पटरा से मृतक श्याम सिंह को मार कर उसकी हत्या कारित की गयी और हत्या के पीछे हेतुक(मोटिव) मृतक के भाई रामसिंह की हत्या के मुकदमे में श्याम सिंह परैवी करते थे। उस मुकदमें की पैरवी हेतु रोकने के बाबत धमकी भी पूर्व में दी गयी थी। जिसके अनुक्रम में घटना के दो दिन पूर्व अभियुक्तगण ममता व चन्नी देवी उर्फ अन्नपूर्णा को मृतक श्याम सिंह के गांव में देखा भी गया था। उक्त के सम्बन्ध में वादिनी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्तगण द्वारा शंका के आधार पर लिखाये जाने पर दौरान गिरफतारी अभियुक्तगण द्वारा अपराध की संस्वीकृति तथा घटना में प्रयुक्त हथियार पटरा की बरामदगी कराये जाने तथा आलाकत्ल पटरे पर मानवरक्त की पुष्टि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर होने तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु मृत्यु पूर्व आयी चोटो के कारण होने के आधार पर अपराध उपरोक्त में अभियुक्तगण की सलिप्तता अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियो के साक्ष्य से युक्तियुक्त सन्देह के परे साबित होती है।

42. इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा जिस प्रकार से परिस्थितियॉ मृतक की मृत्यु मृत्यु पूर्व आयी चोटो के कारण अभियुक्त ममता, चन्नी देवी उर्फ अन्नपूर्णा व सोन बहादुर उर्फ गदरे पटरे से मार कर कारित की गयी और लाश को खेत में फेंक दिया गया और घटना के पीछे हेतुक को भी अभियोजन साक्षीगण द्वारा साबित किया गया है और अभियुक्तगण को भी मृतक के मृत्यु के दो दिन पूर्व गांव में देखा गया और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में आलाकत्ल जो अभियुक्तगण की अपराध संस्वीकृत पर अभियुक्तगण के निशादेही पर बरामद

किया गया है, पर मानवरक्त पाया गया है, को अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित तथ्य एंव औपचारिक साक्षीगण पी0डब्लू0—1 लगायत 12 द्वारा भी सन्देह के परे कड़ी दर कड़ी अपने—अपने साक्ष्य के माध्यम से साबित किया गया है। यहॉ पर अभियुक्तगण पर इस तथ्य को साबित करने का भार था कि मृतक की मृत्यु के पीछे जो हेतुक बताया गया है, वह अभियोजन साक्ष्य के माध्यम से साबित नही होता है। परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणित नकल निर्णय दिनांक—20.11.2024 के परिशीलन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अभियुक्ता ममता को रामसिंह की हत्या / आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित किये गये मुकदमें में दोषसिद्ध किया जा चुका है, जिसमें मृतक श्याम सिंह गवाह भी है और उनके द्वारा मुकदमें की पैरवी भी की जा रही थी, जिसको अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0—1 वादिनी मुकदमा कविता पी0डब्लू0—2 श्याम सुन्दर, पी0डब्लू0—3 मुशीलाल द्वारा अपने—अपने साक्ष्य में किया गया है और विवेचक पी0डब्लू0—8 जिसके द्वारा फर्द बरामदगी / गिरफतारी अभियुक्तगण को अपने साक्ष्य के माध्यम से साबित किया है। जिसमें भी अभियुक्तगण ने अपराध की संस्वीकृति की गयी और हत्या में प्रयुक्त हथियार आलाकत्ल पटरा की बरामदगी स्वंय के निशादेही पर कराया गया है तथा पटरे पर विधि विज्ञान प्रयोग शाला की रिपोर्ट के अनुसार मानवरक्त पाया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में अभियोजन की तरफ से परीक्षित साक्षियो ने जिस प्रकार से मृतक की मृत्यु कारित करने का साक्ष्य दिया गया है। उसकी कडी को एक समंव्यवहार में अपने—अपने साक्ष्य से साबित किया है। परिस्थितिजन साक्ष्य की कड़ी कही पर टूटी नही है और अभियोजन ने मामले को अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित किया है।

43. इस प्रकार पारिस्थितिजन्य साक्ष्य पूरी तरह से अकाट्य व निश्चित रूप से सिद्ध होता है। उक्त परिस्थितियॉ बिना त्रुटि के निश्चित रूप से इस प्रकृति की है, जो अभियुक्तगण ममता, चन्नी देवी उर्फ अन्नपूर्णा व सोन बहादुर उर्फ गदरे को अपराध उपरोक्त में सलिप्त होना पूर्णतया साबित करती है। समग्र रूप से परिस्थितियॉ इस प्रकार की श्रृखंला निर्मित करती है, जिससे कि सभी मानवीय सम्भावनाओ के आधार पर सिर्फ इस निष्कर्ष पर न्यायालय पहुचाती है कि आरोपित अभियुक्तगण ममता , चन्नी देवी उर्फ अन्नपूर्णा व सोन बहादुर उर्फ गदरे द्वारा ही मृतक श्याम सिंह आलाकत्ल पटरे से मारकर मृतक की हत्या कारित कर उसकी लाश हरिशचन्द्र के खेत में फेक दिया गया और यह अपराध किसी अन्य के द्वारा कारित नही की गयी है नही किया गया। परिस्थितिजन साक्ष्य दोषसिद्धी के लिये इस प्रकार की है कि परिस्थितियॉ स्वंय

बोल रही है कि अभियुक्तगण ममता, चन्नी देवी उर्फ अन्नपूर्णा व सोन बहादुर उर्फ गदरे के अलावा कोई अन्य दोषी नही है और अभियुक्तगण की निर्दोषिता कतई दर्शित नही होती है।

44. यहॉ पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन के द्वारा घटना का आशय सिद्ध नही किया गया है। इसलिये घटना सदिग्ध है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **संजीव बनाम स्टेट आफ हरियाणा 2015(2) एस0सी0सी0(क्रिमिनल) 630** में भी कहा है और स्पष्ट किया है कि प्रत्यक्ष रूप से किये गये अपराध में हेतुक सिद्ध करना आवश्यक नही है, क्योकि हेतुक घटनास्थल पर ही घटना कारित करते समय तैयार हो सकता है। यहॉ पर यह न्यायालय स्पष्ट करना आवश्यक समझता है कि प्रस्तुत प्रकरण में घटना का आशय सभी साक्षियो द्वारा यह बताया गया है कि अभियुक्ता ममता को रामसिंह की हत्या / आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित किये गये मुकदमें में दोषसिद्ध किया जा चुका है, जिसमें मृतक श्याम सिंह गवाह भी है और उनके द्वारा मुकदमें की पैरवी भी की जा रही थी। इसी रजिंश को लेकर मृतक श्याम सिंह की हत्या की गयी। जिसको अभियोजन साक्षियो एंव अभिलेखीय साक्ष्य से साबित भी किया गया है। उसी रजिंश के अनुक्रम में अभियुक्तगण घटना के दो दिन पूर्व मृतक के गांव में देखे भी गये है। जिसके शंका के आधार पर ही वादिनी मुकदमा द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी और दौरान विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया और बाद गिर्फतारी अभियुक्तगण के निशादेही पर आलाकत्ल की बरामदगी हुई है। उसी सम्व्यवहार में अभियुक्तगण द्वारा इतनी बड़ी घटना कारित की गयी और वादिनी मुकदमा के पति श्याम सिंह को पटरा से मार कर उसकी हत्या कर लाश को हरिशचन्द के खेत मे फेंक दिया गया है।

45. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन के द्वारा जो पी0डब्लू0—1 लगायत पी0डब्लू0—3 प्रस्तुत प्रकरण में बतौर साक्षी प्रस्तुत किये गये है, वह आपस में सगे सम्बन्धी है। ऐसे में उनके साक्ष्य पर विश्वास नही किया जाना चाहिये। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नजीर **स्टेट आफ यू0पी0 ए0पी0 बनाम कुन्ती राम्मलू आदि 1994 एस0सी0सी0 कि0 734 व 2015 सी0आर0एल0जे0 2878 उपेन्द्र प्रधान बनाम स्टेट आफ उड़ीसा** प्रस्तुत की। उक्त दोनो ही नजीरो में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि जहॉ पर सगे सम्बन्धी साक्षी है। वहॉ पर उनके साक्ष्य को बहुत ही सावधानी पूर्वक व्याख्यित

करना चाहिये और उसी के अनुसार उनको सम्मान देना चाहिये। यह न्यायालय उपरोक्त नजीरो में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो से सहमत है और प्रस्तुत प्रकरण में जिस प्रकार से तथ्य के साक्षी पी0डब्लू0—1 ता0 पी0डब्लू0—3 के द्वारा अपना साक्ष्य दिया है, उससे कही पर भी इस बात का बोध नही होता है कि वह किसी प्रकार का झूठा साक्ष्य दे रहे है। जहॉ तक प्रश्न इस बात का है कि वह सगे सम्बन्धी है। इस सम्बन्ध में यह न्यायालय यह स्पष्ट करना चाहता है कि अगर साक्षी सगे सम्बन्धी है तो भी उनके साक्ष्य सीधे तौर पर अस्वीकार नही किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नजीर **भजन सिंह आदि बनाम स्टेट आफ हरियाणा 2011(7)एस0सी0सी0 421** का उल्लेख करना उचित समझता है। जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि सगे सम्बन्धी साक्षी के साक्ष्य पर विश्वास करना चाहिये, अगर वे विश्वसनीय व विश्वास योग्य है। प्रस्तुत प्रकरण में जिस प्रकार से साक्ष्य आया है, उससे कही पर भी अभियोजन साक्षियो के साक्ष्य की विश्वसनीयता विचलित नही हो रही है। अतः अभियुक्तगण को इस बात का लाभ नही दिया जा सकता है कि पी0डब्लू0—1 ता0 पी0डब्लू0—3 आपस में सगे सम्बन्धी है। इसलिये उनके साक्ष्य पर विश्वास नही किया जा सकता है। अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया उक्त तर्क सही नही है।

46. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन साक्षियो के साक्ष्य में घोर विरोधाभास है और कोई भी ऐसी सामग्री पत्रावली पर नही है, जो घटना की पुष्टि करती हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नजीर **2016(1) ए0सी0आर0 828 पंकज बनाम स्टेट आफ राजस्थान** प्रस्तुत की। जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि जहॉ पर अभियेाजन साक्ष्य एंव डाक्टरी साक्ष्य में विरोधाभास हो और मृत्यु सदिग्ध हो, उस आधार पर मुल्जिमान को दण्डित नही किया जा सकता। यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उक्त नजीर का सम्मान करते हुये यह स्पष्ट करना चाहता है कि वर्तमान प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से कोई भी ऐसा विरोधाभास तथ्य के साक्षी एंव डाक्टरी के साक्ष्य में इंगित नही किया गया जो यह दर्शित करते हो कि अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य एंव डाक्टरी साक्ष्य में घोर विरोधाभास है। उल्टे पत्रावली पर जो तथ्य के साक्षी अभियोजन साक्षीगण के रूप में पी0डब्लू0—1 ता0 पी0डब्लू0—3 प्रस्तुत किये गये है, उनकी बातो का समर्थन पी0डब्लू0—5 डाक्टर साक्षी व पी0डब्लू0—8 विवेचक सुधीर कुमार ने भी किया है और उक्त पॉचो

साक्षीगण के साक्ष्य में कोई भी ऐसा विरोधाभास नही है, जो घटना को सदिग्ध बनाते हो और जो तुच्छ विरोधाभास वर्तमान प्रकरण में आये है, वह सामान्य अनुक्रम में आना सम्भव है। जिससे किसी प्रकार से घटना सदिग्ध नही हो रही थी। इस बात को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रमेश बनाम स्टेट आफ यू0पी0 2009 (15) एस0सी0सी0 513** में कहा है। इस प्रकार अभियुक्तगण को वर्तमान प्रकरण में आये तुच्छ विरोधाभास का कोई लाभ नही दिया जा सकता है। इस प्रकार बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा दिया गया यह तर्क की साक्षियो के साक्ष्य में विरोधाभास है। जिस कारण घटना सदिग्ध है, स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

47. बयाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा के द्वारा यह भी कथन किया गया कि कोई भी स्वतन्त्र गवाह प्रस्तुत प्रकरण में प्रस्तुत नही किया गया है। घटना परिस्थितिकीय साक्ष्य पर आधारित है। ऐसे में अभियुक्तगण को दण्डित नही किया जा सकता। परन्तु वर्तमान प्रकरण में धारा—34 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यह आवश्यक नही है कि सभी साक्षीगण को परीक्षित कराया जाय। अगर एकांकी साक्ष्य भी अपने—आप में विश्वसनीय है तो उस आधार पर भी दण्डित किया जा सकता है। इस बात को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अवतार सिंह बनाम स्टेट आफ हरियाणा ए0आर0आर0 2013(सुप्रीम कोर्ट)286** में भी कहा है। इस प्रकार अभियुक्तगण को इस बात का लाभ नही दिया जा सकता है कि जनता के गवाह को अभियेाजन ने परीक्षित नही कराया। इसलिये घटना सदिग्ध है।

48. जहॉ तक औपचारिक साक्षियो पी0डब्लू0—4, पी0डब्लू0—6, पी0डब्लू0—7 व पी0डब्लू0—8 व पी0डब्लू0—12 द्वारा मुकदमा कायमी से लेकर आरोप पत्र दाखिल होने तक अभियोजन प्रपत्रो को अपने साक्ष्य के माध्यम से साबित किया गया है। जिनसे अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा भी की गयी है। प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य नही आया जिससे यह कहा जा सके कि उपरोक्त प्रपत्र तैयार किये जाने में औपचारिक साक्षी द्वारा कोई प्रक्रियात्मक एंव विधिक त्रुटि कारित की गयी है।

49. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह न्यायालय इस मत का है कि अभियेाजन साक्षियो के साक्ष्य से यह सिद्व होता है कि अभियुक्तगण द्वारा साजिशन मृतक को अपने भाई के हत्या के मुकदमें में पैरवी करने की रंजिश को लेकर घटना के दो दिन पूर्व से मृतक के गांव में आने जाने व घटना के दिन मृतक को आलाकत्ल पटरे से मार कर उसकी हत्या कर उसकी लाश को खेत मे फेक दिया गया तथा दौरान विवेचना अभियुक्तगण की अपराध

संस्वीकृति एंव उनकी निशादेही पर आलाकत्ल की बरामदगी होने और आलाकत्ल पटरे पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार पटरे पर मानवरक्त पाये जाने को अभियोजन अपने साक्षियो पी0डब्लू0–1 ता0 12 के माध्यम से युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है। फलतः अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सत्र परीक्षण सं0–95 / 2023 अ0सं0–5 / 22 में अभियुक्त ममता, चन्नी देवी उर्फ अन्नपूर्णा व सोन बहादुर उर्फ गदरे को भा0दं0स0–302 / 34,120बी भा0दं0स0 के तहत दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त चन्नी देवी उर्फ अन्नपूर्णा जमानत पर है। अभियुक्त चन्नी देवी उर्फ अन्नपूर्णा का व्यक्तिगत बन्ध पत्र निरस्त करते हुये उसके प्रतिभूगण को उनके उत्तरदायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण ममता व सोन बहादुर उर्फ गदरे जेल में है। अभियुक्तगण ममता व सोन बहादुर उर्फ गदरे जेल से उपस्थित। अभियुक्ता चन्नी देवी उर्फ अन्नपूर्णा को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जावे। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु लंच बाद पेश हो।

दिनांक–11.06.2026

(सूर्य प्रकाश सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–1
गोण्डा।

<u>दिनांक–11.06.2026</u>

लंच बाद पत्रावली प्रस्तुत हुई। दण्ड के प्रश्न पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन यह है कि अभियुक्तगण गरीब एंव असहाय है। उनके अलावा परिवार का भरण पोषण करने वाला अन्य कोई नही है। उक्त तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुये कम से कम सजा से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

जबकि अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये समुचित दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

सुना। वाद के तथ्यों एंव परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मै इस मत का हूँ कि अभियुक्तगण ममता, चन्नी देवी उर्फ अन्नपूर्णा व सोन बहादुर उर्फ गदरे को अ0सं0–05 / 2022 में भा0द0स0 की धारा–302 / 34,120बी के तहत सश्रम आजीवन कारावास एंव मु0–15,000–15,000 / –रूपये के अर्थदण्ड

से दण्डित किया जाना विधि सम्मत व न्यायोचित होगा, जिससे न्याय के उद्देश्यो की पूर्ति हो सके।

<u>दण्डादेश</u>

अभियुक्तगण ममता, चन्नी देवी उर्फ अन्नपूर्णा व सोन बहादुर उर्फ गदरे को अ0सं0–05/ 2022 में प्रत्येक को भा0द0स0 की धारा–302/ 34, 120 बी के तहत सश्रम आजीवन कारावास एंव मु0–15,000–15,000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में छः–छः माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी

अभियुक्तगण की सभी सजाये साथ–साथ चलेगी।

अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अब तक जेल में बितायी गयी अवधि सजा उपरोक्त में समायोजित समझी जावेगी।

अभियुक्तगण का सजायाबी वारन्ट तत्काल बनाकर जिला कारागार गोण्डा को भेजा जावे।

दिनांक–11.06.2026

(सूर्य प्रकाश सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–1
गोण्डा।

उक्त निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एंव दिनाकित होकर उद्घोषित किया गया।

दिनांक–11.06.2026

(सूर्य प्रकाश सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–1
गोण्डा।

Digitally signed by SURYA PRAKASH SINGH
Date: 2026.06.17 10:09:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court